न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 150/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. गेनाराम पुत्र केसाराम 2. शेराराम पुत्र चेनाराम 3. हुकमाराम पुत्र चेनाराम 4. जेठाराम पुत्र चेनाराम 5. दुलाराम पुत्र चेनाराम 6. खुमाराम पुत्र चेनाराम जातियान जाट निवासीगण धुंधवालो की ढाणी अलाय तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संशोधित) अधिनियम–2010

आदेश

दिनांक :– 09.05.2017

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थीगण के सहकब्जे काश्त खातेदारी की भूमि मौजा धुंधवालो की ढाणी के खसरा नम्बर 1695 रकबा 159.00 बीघा था जिसका बंटवाडा होकर खसरा नम्बर 2161/1695 रकबा 26.04 बीघा, खसरा नम्बर 2163/1695 रकबा 52.08 बीघा प्रार्थी संख्या 1 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया व खसरा नम्बर 2162/1695 रकबा 78.13 बीघा प्रार्थीगण संख्या 2 के बंट कब्जे काश्त में रखा। जमाबंदी मय नक्शा आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि, प्रार्थीगण ने अपने खेतो में आने जाने के रास्ता प्रयोजनार्थ अपनी खातेदारी की भूमियों मे से मूल खसरा नम्बर 1695 का रकबा 1.15 बीघा राजहक में समर्पित किया ताकि उनके रास्ते के लिए किसी प्रकार की समस्या या व्यवधान नहीं हो व राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि रास्ता दर्ज हो जाये, उक्त समर्पण पत्र दिनांक 06.12.2014 को अप्रार्थी तहसीलदार के समक्ष पेश कर दर्ज करवा दिया। जिसके आधार पर जरिये म्यूटेशन नम्बर 247 दिनांक 14.03.2015 को राजस्व रेकर्ड में इसका अमल दरामद किया गया मगर अमल दरामद करते समय रास्ता प्रयोजनार्थ रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय खाते में सिवाय चक के रूप में दर्ज कर दिया।

यह है कि, प्रार्थीगण के खातेदारी व बंटसुदा खेतो में आने जाने के लिए उक्त समर्पित की गयी रास्ते की भूमि ग्राम अलाय से ग्राम मकोड़ी जाने वाली मुड़िडया सड़क से फंट कर प्रार्थी संख्या 1 के खेत की उतरी माठ के पास पास होते हुऐ आगे दोनो खेतो के बीच मे से होते हुए प्रार्थीगण संख्या 2 से 6 के खेतो तक जाता है जो नक्शा ट्रेस में तरमीम के अनुसार दर्शाया हुआ है और आज दिन इसी अनुसार मौके पर रास्ता कायम है व चल रहा है।

यह है कि, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व ढाणियो में आने जाने का नही है। प्रार्थीगण अपने उक्त खेत व ढाणी में पहुचने के लिए उक्त रास्ता नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी का उपयोग उपभोग करते आये है। जिस रास्ते की चौड़ाई उक्त प्रावधान अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन व वाहन मवेशी आदि लाने ले जाने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार चिन्हित करते हुऐ रास्ता 18 फीट चौड़ाई की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व प्रार्थना पत्र 150/2016
गेनाराम बनाम सरकार

घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना उचित और न्याय संगत है जिस हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

यह है कि, प्रार्थीगण के खेत व ढाणियों में आने जाने का इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर रास्ता चालू है व रास्ता के अलामात मौजूद है। उक्त रास्ते की आवश्यकता प्रार्थीगण की खातेदारी के खेताय व रहवासी ढाणी में आने जाने और खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्यो के लिए व ढाणी में निवास के लिए आवश्यक है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र श्रीबालाजी में दिनांक 09.05.2017 को पेश हुआ। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण को सुना गया। भू.अ.नि. अलाय के द्वारा दिनांक 16.02.2017 को रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की जो तहसीलदार नागौर के द्वारा पत्रांक भू.अ./1096 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली है। भू.अ.नि. अलाय ने अपनी रास्ते की मौके रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेताय में आने जाने हेतु मौजा धुंधवालो की ढाणी का खसरा नम्बर 1695 रकबा 1.15 बीघा सरकारी भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.12.2014 को रास्ते हेतु उक्त भूमि समर्पित की थी। वर्तमान में उक्त भूमि सिवाय चक राजकीय भूमि म्यूटेशन संख्या 247 के द्वारा दर्ज हुई थी। रास्ते पेटे भूमि में फसल पेड़-पौधे, निर्माण इत्यादि नही है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 18 फुट है चूंकि प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिवाय चक सरकारी भूमि है। ग्राम धुंधवालो की ढाणियां (अलाय) तहसील व जिला नागौर के खसरा नम्बर 1895 जिसके बाद बंटवाडा होकर हाल खसरा नम्बर 2161/1695, 2163/1695, 2162/1695 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1695 रकबा 1.15 बीघा रास्ते के रूप में घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 18 फुट रहेगी। ग्राम धुंधवालो की ढाणी स्थित खसरा नम्बर की डीएलसी दर 14530 रूपये प्रति बीघा की दर से रास्ते पेटे भूमि 1.15 बीघा की दर 25428/- रूपये के दो गुना की दर से कुल रूपये 25428x2=50856/- (अक्षरे पच्चास हजार आठ सौ छप्पन) रूपये बनते है। उक्त रकम राजकीय रकम रहेगी। जो प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय नागौर में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार नागौर भू.अ.नि. अलाय की मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1695 की 1.15 बीघा भूमि को राजकीय रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 09.05.2017 को मेरे द्वारा मजमे में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर